


नेत्रदान क्यों?



कार्निया क्या है?

कार्निया आँख की पुतली के ऊपर शीशे की तरह की एक परत होती है।

कार्निया क्षतिग्रस्त क्यों हो जाता है?

कार्निया प्रायः आँख में संक्रमण या चोट लगने अथवा विशेषतया बचपन में पोषण की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है।

नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनाएँ

आँखों की रोशनी कैसे वापस लाई जा सकती है?

कार्निया के क्षतिग्रस्त होने के कारण जिस व्यक्ति की दृष्टि चली गई है वह कार्निया प्रत्यारोपण द्वारा पुनः दृष्टि प्राप्त कर सकता है।

क्या कार्निया के स्थान पर लगाए जा सकने वाले कोई कृत्रिम विकल्प हैं?

अभी तक कार्निया का कोई कृत्रिम विकल्प तैयार नहीं किया जा सका है।

नेत्रदान की शपथ कौन ले सकता है?

किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति चाहे वह स्त्री है या पुरुष, अमीर है या गरीब, नेत्रदान की शपथ ले सकता है। जो व्यक्ति नज़र का चश्मा लगाते हैं, अथवा जिन्होंने आँखों का सफल आपरेशन करवाया है अथवा जो किसी दैहिक रोग से पीड़ित हैं, वे भी अपने नेत्रदान की शपथ कर सकते हैं।

क्या नेत्रदान करने में कोई खर्च भी करना पड़ता है?

नेत्रदान करने वाले व्यक्ति के परिवार से कोई फीस नहीं ली जाती। नेत्रदाता की मृत्यु हो जाने पर नेत्र संग्रह केन्द्र उसके घर एक डॉक्टर भेजेगा। जनहित में यह एक निशुल्क सेवा है।

क्या घर पर आँखे निकलवाई जा सकती हैं?

घर पर ही अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहाँ मृतक का शव रखा है, आँखें निकाली जा सकती हैं।

नेत्रदान - महादान

क्या आँखे पाने वाले व्यक्ति को, प्रत्यारोपित की गई आँख के लिए खर्चा देना पड़ता है?

इस प्रकार की सभी सेवाएं सरकार और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती हैं। दान की गई आँखे कभी भी खरीदी या बेची नहीं जातीं।

नेत्रदान के संबंध में नैतिक व धार्मिक धारणाएं क्या हैं?

विश्व भर के धार्मिक नेताओं ने नेत्रदान को उच्चतम मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति बताते हुए इसका समर्थन किया है।

कैसे संपर्क करें?

नेत्रदान की सहमति देने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद नज़दीकी नेत्र संग्रह केन्द्र/नेत्र बैंक से संपर्क करें।

नेत्रदान की प्रक्रिया

अपने निवास के नज़दीकी नेत्र संग्रह केन्द्र/नेत्र बैंक से इस विषय में पूछताछ करें। यह केन्द्र आपके क्षेत्र के मेडिकल कालेज या आँखों के अस्पताल में स्थित हो सकता है। अपने नज़दीक के ऐसे किसी केन्द्र में स्वयं जाकर अथवा फोन द्वारा सम्पर्क करें। वे आपकी नेत्रदान की प्रतिज्ञा को पंजीकृत कर लेंगे और आपको एक नेत्रदान कार्ड दे देंगे।

बेहतर होगा यदि परिवार के सभी सदस्य एक साथ नेत्रदान की प्रतिज्ञा करें। वैसे, कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी भी समय, नेत्रदान करने की प्रतिज्ञा कर सकता है।

नेत्र की छोट की अनदेखा न करें

मृतक व्यक्ति की आँखें भी दान की जा सकती हैं चाहे उसने अपने जीवन में आँखें दान करने की प्रतिज्ञा की हो अथवा नहीं। कानून के अनुसार, मृतक व्यक्ति के सम्बन्धी भी उसकी आँखें दान कर सकते हैं, बशर्ते कि मृतक व्यक्ति ने जीते जी कभी नेत्रदान का विरोध न किया हो।



स्वास्थ्य सेवा महानिवेशालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भ्रातालय
नेत्रविज्ञान अनुशासन
(आई.एस. इकाई)
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108.
वेबसाइट: www.mohfw.nic.in

नेत्रदान के लिए महत्वपूर्ण सूचना-

नेत्रदाता के लिए

- संलग्न प्रतिज्ञा फॉर्म को भरें और नेत्रदान करने के अपने इरादे का पंजीकृत कराएं।
- हम आपको डोनर कार्ड भेजेंगे। इसको संभालकर रखें, यह लम्बे समय तक सभी को याद दिलाता रहेगा।
- नेत्रदान करने के अपने इरादे के बारे में अपने परिवार के डॉक्टर और सगे-संबंधियों से चर्चा करें।
- नेत्रदान करने के अपने इरादे की घोषणा अपने वसीयतनाम में करें।
- यदि आप किसी नए घर में चले जाते हैं तो अपने घर के नज़दीकी नए नेत्र बैंक का पता और दूरभाष नम्बर लिख लें।

सगे-संबंधियों के लिए:

- मृत्यु प्रमाण पत्र तुरन्त प्राप्त करें और नेत्र संग्रह के लिए नज़दीकी नेत्र बैंक से संपर्क करें।
- पंखे को बंद कर दें (ए.सी. को खुला रहने दें) और बंद पलक पर भीगी हुई रुई/कपड़ा रख दें। यह नेत्रोलक को नम रखने में मदद करेगा।
- तकिये के सहारे सिर को ढढाएं।
- कृपया इस बात का ध्यान रखें कि एड्स, हेपेटाइटिस आदि की जांच के लिए दाता का रक्त नमूना ले लिया गया है।

वर्ष में एक बार अपने
नेत्र विशेषज्ञ के पास अवश्य जाएँ

इस आशा से कि मैं/हम दूसरों की मदद कर सकता/सकती हूँ/सकते हैं, मैं/हम मेरी/हमारी मृत्यु के बाद यह शारीरिक उपहार देता/देती हूँ/होते हैं बशर्ते कि यह चिकित्सा की दूरभाष से खारीक हो।

जन्म तिथि

साप्त अंकों में नाम
श्री/श्रीमती

पति कोड

शहर

मोबाइल

दूरभाष (कार्यालय/आवास)

पति